से दुकानें खाली कराने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां तो क्या 19 दुकनों के स्वरोजगार प्राप्त शिक्षित युवाओं को बेरोजगार करने वाली नीति को छोड़ दिया जाएगा और इन दुकानों को नियमित किया जाएगा और यदि नहीं, तो अनेक स्थानों पर इन दुकानों को किन आधार पर नियमित किया गया था?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) और (ख) पुनर्वास मंत्रालय ने 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कई विपणन केन्द्र निर्मित किए थे । पांच मार्कीट नामत: रायसीना रोड मार्कीट, सरोजनी मार्कीट, कमला मार्कीट, प्लैजर गार्डन मार्कीट तथा शंकर मार्कीट (न्यु सेंट्रल मार्कीट) 1.4.1958 से पुनर्वास मंत्रालय से निर्माण और आवास मंत्रालय को अन्तरित हो गई थी । रायसीना मार्कीट तोड़ दी गई है तथा शेष चार मार्कीट निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रशासित की जाती रही । इन चार मार्कीटों में उपलब्ध दुकानों/स्टालों/फलैटों की संख्या 1302 है ।

(ग) इन मार्कीटों में दुकानों को भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को व्यापार वास मुहैया कराने के लिए बनाया गया था तथा इन दुकानों को उन्हें किराया आधार पर आबंटित किया गया था । आबंटन का मापदण्ड यह था कि "वे पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति थे" तथा न कि "शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति"। 1978 में सरकार ने चार पुनर्वास मार्कीटों नामत: कमला मार्कीट, प्लैजर गार्डन मार्कीट, न्यु सेन्ट्रल मार्कीट तथा सरोजनी मार्कीट में दुकानों/फलैटों/स्टालों का स्वामित्वाधिकार इन दुकानों/फलैटों/स्टालों के आबंटियों को देने का निर्णय किया था । सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्लैजर गार्डन की 414 दुकानों में से 385 को स्वामित्वाधिकार की पेशकश की गई थी ।

(घ) और (ङ) किराएदारी/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कुछ मामलों में दुकानों का आबंटन रद्द कर दिया गया था । प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल उन्हीं मामलों में भागीदारी/उपकिराएदारी के आधार पर नियमितीकरण किया जाए जहां ऐसी भागीदारी/उपकिराएदारी 6 मई, 1975 को अथवा इससे पहले की गई थी । चूंकि 19 दुकानदारों का अनुरोध प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए लिए गए वर्तमान निर्णय के अन्तर्गत नहीं आता है, उन के नियमितीकरण के मामले निरस्त कर दिए गए हैं तथा वे दुकानों के नियमितीकरण हेतु पात्र नहीं है । परिणामस्वरूप, उनके नाम पर दुकानों के नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

Finalisation of Draft Plan of 'M' Block Shakarpur Extension

9520. PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether draft plan of 'M' Block of Shakarpur Extension has not yet been finalised by DDA, though the last date for comments from the public expired more than two years ago;

(b) whether basic development works like drainage and brick floaring provided even in slum area, has been withheld on account of the non-availability of the said plan; and

(c) if reply to (a) and (b) is in affirmative, when the plan is likely to be finalised?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c). Shakarpur Colony as included in the list of 612 unauthorised colonies identified for regularisation by the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Development Authority, will be regularised alongwith the others in phases XI in accordance with the Government's policy. Development work will be taken up after the layout plan is finalised. It is not feasible to indicate the time by which the various services will be provided.